कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई।

निविदा/ टेण्डर सूचना

जनपद न्यायालय हरदोई में प्रशासनिक कार्यालय तथा अभिलेखागार हेतु एक-एक फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर क्रय किया जाना है। माननीय जनपद न्यायाधीश, हरदोई के आदेशानुसार फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर के क्रय किये जाने हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मो से निविदा आमन्त्रित की जानी है।

अतः प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मो से दिनांक 18-07-2019 के सायं 4:00 बजे तक निविदा आमन्त्रित किये जाते है। पंजीकृत फर्मो के प्रतिनिधि नियम/ शर्तों के साथ निविदा/ टेण्डर उपरोक्त तिथि तक प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदा/ टेण्डर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को स्वीकृति एवं बजट आवंटन हेतु प्रेषित किये जायेंगे तथा स्वीकृति तथा बजट आवंटन के पश्चात फोटो कांपी मय स्कैनर क्रय की जायेगी।

दिनांक 18-07-2019 की सायं 4:00 बजे तक प्राप्त होने वाली सभी निविदा/ टेण्डर दिनांक 18-07-2019 की सायं 4:30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोले जायेगे। निविदा/ टेण्डर खोले जाने के समय उन्हे प्रस्तुत करने वाले फर्मो/ कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

क्रय किये जाने हेतु फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर की विशिष्टियां एवं विवरण निम्नवत है:-

1-	कम्पनी का नाम	:	जिराक्श(Xerox)
2-	मांडल नम्बर	:	B 1022

फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर हेतु निविदा/ टेण्डर निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त किये जायेगें :-

1) निविदा /टेण्डर देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
2) निविदा/टेण्डर देने वाली फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर का पूर्ण विवरण एवं विक्रय पश्चात सेवओं का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
3) निविदा / टेण्डर देने वाली फर्म अपने निविद के साथ आपूर्ति किये जाने वाले फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर के सर्विस सेन्टर की सूची का संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4) निविदा/ टेण्डर दाताओ को अपनी निविदा/ टेण्डर के साथ जी०एस०टी० नम्बर, पैन/ टैन नम्बर विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न एवं अपने फर्म का पंजीकरण का विवरण संलग्न करना आवश्यक है।
5) निविदा/ टेण्डर के साथ अंकन 20,000/- (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/चेक जनपद न्यायाधीश, हरदोई के पक्ष मे धरोहर राशि के रूप मे संलग्न करना अनिवार्य है।
6) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने के उपरान्त ही फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर को क्रय किया जायेगा एवं बजट प्राप्त होने के उपरान्त ही फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर को क्रय किया जायेगा एवं भुगतान किया जायेगा।
7) फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर की अपूर्ति निविदा/ टेण्डर स्वीकृत होने वाली फर्म द्वारा जनपद न्यायालय हरदोई मे किया जायेगा और इस निमित्त पृथक रूप से कोई भी शुल्क देय नही होगा।
8) स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश हरदोई) को यह अधिकारी होगा कि वह किसी भी निविदा/ टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है।

दिनांक:

Pandey 3/07/19

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
अध्यक्ष, क्रय समिति/ प्रधान न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय हरदोई।